न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 06 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

दानाराम पुत्र लाधूराम **बनाम** 01. गोटाराम पुत्र लाधूराम वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–21.07.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 व 02 ने उतरदाता संख्या 03 से 11 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम माडवा तहसील भणियाणा के खेत खसरा नं. 597 रकबा 305.09 बीघा और खसरा नं. 569 रकबा 133.13 बीघा कुल रकबा 439.06 बीघा का पेश किया जिसमें उक्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबावदावा पेश नहीं कर सीधा ही राजीनामा पेश किया और उसके साथ ही बंटवाड़े का नजरी नक्शा पेश किया। उक्त राजीनामा के साथ बंटवाड़े का नजरी नक्शा पेश किया गया था वह नक्शा मौके पर जाकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा बाई मिटस एण्ड बाऊण्ड दोनों पक्षों के रूबरू नाप नहीं कर अंदाज से पेश किया था और प्रारम्भिक डिक्री पारित नहीं कर नियमों को अनदेखा कर सीधे ही अंतिम डिक्री पारित कर दी। ऐसी डिक्री प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है जो निर्णय व डिक्री गलत पारित की गई थी। उक्त निर्णय व डिक्री के मुताविक पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी में अंकित रकबे से बाहर जाकर नक्शा किश्तवा, जो पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी में अंकित रकबे से बाहर जाकर नक्शा किश्तवार, जो पटवारी हल्का के पास रहता है, में गलत तरमीम कर अपीलांट का रकबा कम तरमीम किया गया है जिसका ज्ञान अपीलांट अनपढ व ग्रामीण काश्तकार होने से वक्त निर्णय व डिक्री नहीं हो सका और न ही अपीलांट को इतने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनो तक बेदखल करने की धमकियां ही दी। उतरदाता संख्या 6/2 सुरताराम ने तहसीलदार भणियाणा के समक्ष आवेदन पेश कर सीमाज्ञान का आदेश दिनांक 04.03.2022 को प्राप्त कर लिया। उक्त आदेश के आधार पर उतरदातागण ने अपीलांट को दिनांक 20.03.2022 को बेदखल करने की धमकियां दी और अपीलांट को कब्जा हटाने का कहा तब अपीलांट ने पटवारी हल्का के पास जाकर पता कि तो पटवारी हल्का ने अपने पास स्थित नक्शा किश्तवार देखकर नाप निकाला जिसमें कुल 05.01 बीघा सड़क पर कम तरमीम की गई। उक्त जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा देने पर उसे जमाबंदी की नकले प्राप्त कर उक्त निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 21.03.2022 को मांगी जो नकले दिनांक 22.03.2022 को प्राप्त हुई तब अपीलांट को उक्त रकबा गलत तरमीम होने का ज्ञान हुआ। उक्त ज्ञान की तारीख 21.03.2022 से 60 दिन के अन्दर यह अपील पेश की जा रही है जो वास्तविक ज्ञान की तारीख से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2017(1) Page 689

RRT 2017(2) Page 1104

CCC 2021(1) SC Page 423

RJT 2008(2) Page 1535

RRT 2008(2) Page 1406

CCC 2004(1) Page 487

CCC 2004(3) Page 485

RRT 2020(1) Page 55

RRT 2016-17(Supp.) Page 648

RRD 1998 Page 319

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस में बताया कि अपीलांट ने हस्तगत अपील स्थापित कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय व तथ्यों का सही विश्लेषण नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन विधि विरूद्ध पेश किया है क्योंकि प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ तकरीबन 40 वर्ष बाद बिना कारणों का स्पष्टीकरण नहीं करते हुए अपील पेश की गई। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायायल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में वादी था जिस पर अपीलांट/वादी के हस्ताक्षर है, इस प्रकार उक्त निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान अपीलांट को 02.02.1981 को था, उसके बावजूद अपीलांट ने दुर्भावना पूर्वक यह अपील प्रस्तुत की है जो स्पष्टतया म्याद बहार है। अपीलांट को अन्तिम डिक्री का ज्ञान होते हुए भी तथ्यों को तोड़मरोड़कर अपील को ज्ञान की तिथि से अन्दरम्याद लाने का प्रयास किया जो वाद कि बहुलता बढ़ाने के लिए व रेस्पोंडेंट को अपने हक–हकुको से महरूम रखने के लिए अपील पेश की गई। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2010(1) Page 400

RRT 2014(2) SC Page 1331

RLW 2012(3) Page 2142

RRT 2007(2) SC Page 939

RRT 2011(2) Page 851

RRT 2013(2) Page 887

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री दिनांक 02.02.1981 अपीलांट स्वयं की उपस्थिति में उभयपक्ष की राजीनामा पर बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांट स्वयं वादी है जिसके राजीनामा एवं उसके संलग्न नक्शा पर हस्तक्षार है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी डिक्री पारित करने की तिथि से ही है उसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है। हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 40 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील मियाद बाहर करने योग्य ठहरती है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपील को इसी स्टेज पर खारीज की जाती है।

(प्रतिष्ठा [illegible]लानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर